पेयजल सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु सामान्य जानकारी एवं दिशा–निर्देश

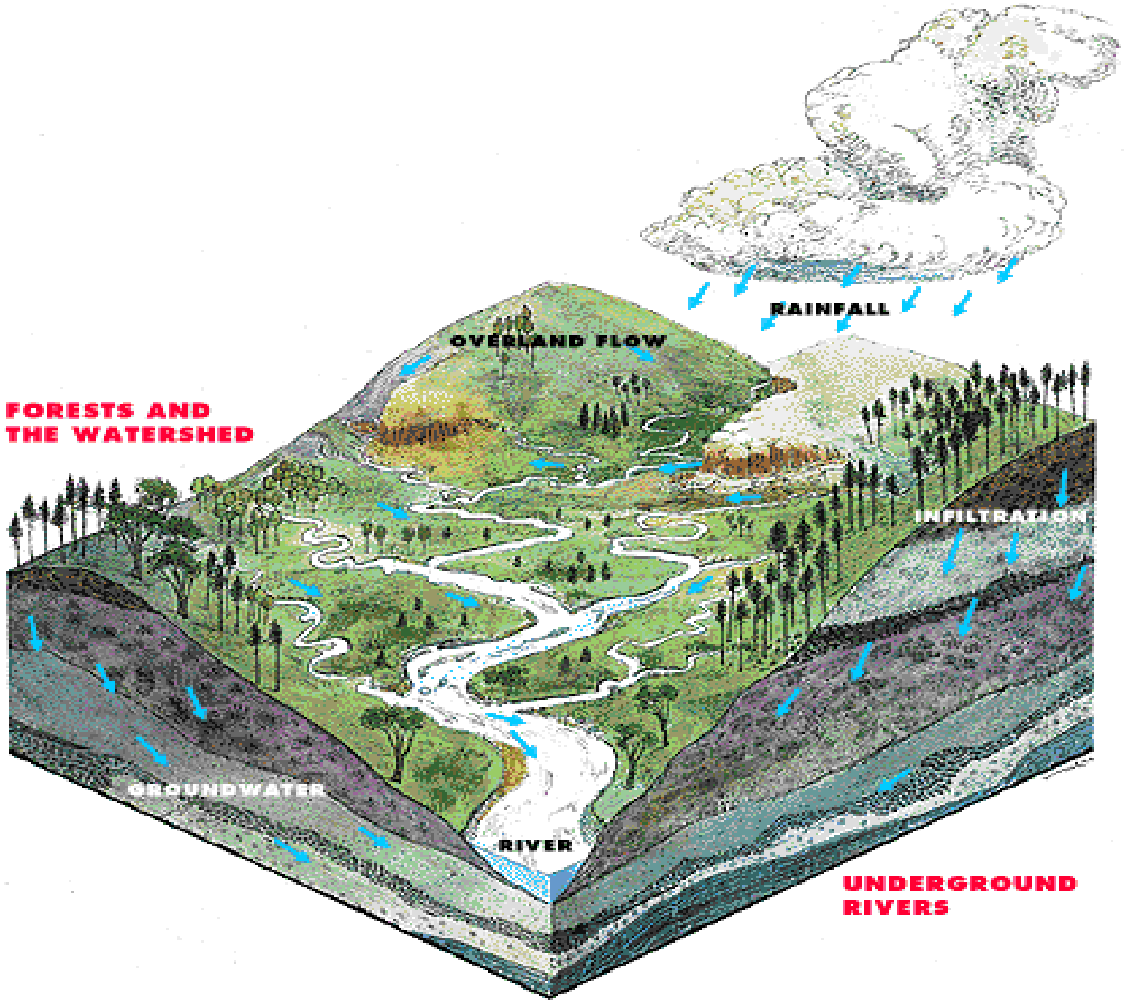

उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल
एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम,
पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

1. जलागम क्या है ?

जलागम क्षेत्र का अभिप्राय किसी जल स्रोत की सीमाओं, उसकी पारिस्थितिकीय तंत्र तथा उस भू–स्थल से है जहाँ से जल उस स्रोत में प्रवाहित होता है। जलागम क्षेत्र के अन्तर्गत भू–जल स्रोत भी आते हैं जिनमें जल–धाराओं, झीलों, चालों/खालों आदि से जल पहुँचता है तथा जो इन जल स्रोतों को जल उपलब्ध कराते हैं। प्रायः बड़े जलागम क्षेत्र 'नदी–क्षेत्र' भी कहलाते हैं।

प्रत्येक प्राणी एक जलागम में निवास करता है। आप तथा आपके जलागम क्षेत्र के सभी प्राणी, जलागम समुदाय के अंग है। इसमें जीव–जन्तु, पक्षी, जल–जीव आदि सभी सम्मिलित हैं। आपकी गतिविधियों तथा क्रिया–कलापों का प्रभाव आपके जलागम क्षेत्र पर पड़ता है। इसमें प्राकृतिक सम्पदाओं, मृदा, जल, वायु, पेड़–पौधे तथा जीव–जन्तुओं के प्रति आपका अच्छा अथवा बुरा व्यवहार शामिल है। आपके लघु जलागम क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों/क्रिया–कलापों का प्रभाव नीचे स्थित वृहद जलागम क्षेत्र पर भी पड़ता है।

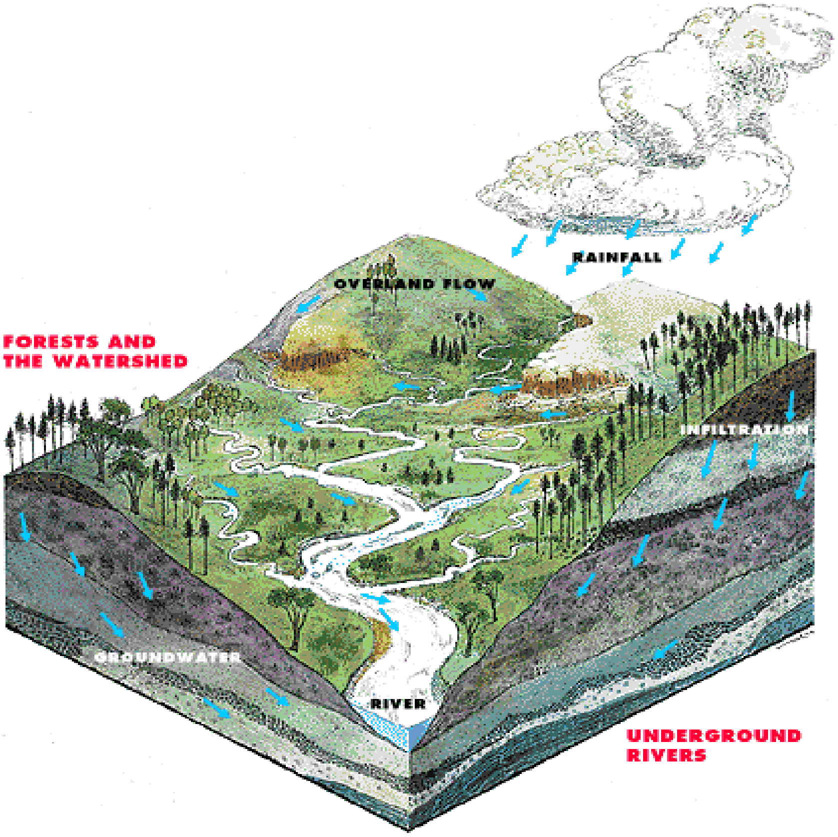

2. सामान्य जानकारी

(अ) स्वजल परियोजना

(स्वजल परियोजना में जल संरक्षण एवं सम्वर्द्धन तथा वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत जल ग्रहण क्षेत्र बचाव कार्य)

1 पेयजल स्रोतों के संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाने के संबंध में की गई कार्यवाही

1.1 उत्तराखण्ड प्रदेश में विशेष रूप से पर्वतीय जनपदों में अधिकांश पेयजल स्रोत मुख्य रूप से स्थानीय गदेरों, झरनों आदि के रूप में हैं। यहाँ अधिकांश स्थानों पर भूमिगत जल का दोहन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संभव नहीं है। राज्य में शनैः–शनैः पेयजल स्रोतों के स्राव में निरंतर कमी को देखते हुये तथा अनेकों स्रोत के सूखने एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें बचाने की नितान्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 677/उन्तीस–2 (05पे0)/2005 दिनांक 16 अप्रैल, 2005 निर्गत किया जा चुका है।

1.2 राज्य में चाल/खालों के रखरखाव के अभाव में निष्क्रिय होने से जहॉ एक ओर ग्रामीण पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है वहीं इनमें वर्षा जल का भण्डारण न होने के कारण स्थानीय जल स्रोतों के रिचार्ज़ की व्यवस्था समाप्त हो गई है, जिससे स्थानीय जल स्रोत भी सूख गये हैं। इस संबंध में शासनादेश संख्या 1023/उन्तीस–2 (05पे0)/2005 दिनांक 16 अप्रैल, 2005 द्वारा व्यवस्था की गई है कि जिन भी ग्रामों की पेयजल योजनाओं के नव निर्माण, पुनर्गठन एवं जीर्णोंद्धार का कार्य किया जा रहा है उन ग्रामों में अनिवार्य रूप से पूर्व में निर्मित चाल/खाल का भी पुनर्जीवन किया जाये।

2 स्वजल परियोजना प्रथम चरण के दौरान जल ग्रहण क्षेत्र बचाव कार्य के तहत निष्पादित कराये गये कार्यों का विवरण :–

2.1 जलग्रहण क्षेत्र बचाव कार्य

स्वजल फेज़–1 के दौरान जल ग्रहण क्षेत्र बचाव कार्य कुल 229 चयनित ग्रामों में कराये गये थे। इन ग्रामों का चयन निम्न मानकों पर किया गया था:–

(i) वे ग्राम जिनके पेयजल स्रोतों में 15 लीटर प्रति मिनट या इससे कम जल श्राव उपलब्ध था। (ii) वे ग्राम जहां चयनित श्रोत के श्राव में 50 प्रतिशत या इससे अधिक की कमी आ गई थी। (iii) वे ग्राम जहां पेयजल संरचनाओं को मृदा एवं जल अपरदन से खतरे की संभावना थी।

जल ग्रहण क्षेत्र बचाव कार्यों के तहत 229 में से 67 ग्रामों में सहायतित प्राकृतिक पुनरूत्पादन (Assisted Natural Regeneration) कार्यक्रम चलाया गया था।

2.2 उपरोक्त कार्यक्रम का निम्न उद्देष्य थाः–

(i) जल श्रोतों के श्राव में आ रही कमी को रोकना। (ii) जल श्रोतों के श्राव को 15 लीटर प्रति मिनट पर बनाये रखने हेतु प्रयास करना। (iii) मृदा एवं जल अपरदन से सम्भावित क्षति से पेयजल संरचनाओं को बचाये रखना। (iv) ग्राम समुदाय में पर्यावरणीय विषयों पर जागृति पैदा कर उनकी क्षमता का विकास करना जिससे निर्मित किये गये सम्पदा का रख–रखाव एवं संचालन कर सके।

2.3 उपरोक्त उद्देष्यों की प्राप्ति हेतु उक्त निम्न कार्य कराये गये थेः–

(i) पौधारोपण (ii) मृदा एवं जल संरक्षण हेतु कार्यः (चैक डैम, गेबियन चैक डैम, परकोलेटिंग पांड, रीचार्ज पीट, चाल/खाल पुर्नजिविकरण) (iii) घास पैच (व्यक्तिगत) (iv) नादेप कम्पोस्ट पिट (व्यक्तिगत) (v) अन्य कार्यः (क्षमता विकास, प्रषिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र भ्रमण आदि)

2.4 इसी प्रकार सहायतित प्राकृतिक पुनरूत्पादन कार्यक्रम के तहत (67 ग्रामों में) निम्न कार्य किये गये थेः–

(i) जल ग्रहण क्षेत्र का घेरबाड़ तथा सामाजिक और प्राकृतिक फेंसिंग (ii) प्राकृतिक रूप से बढ़ रहे पौधों के चारों ओर थौला निर्माण (iii) ड्रेंच खुदान एवं बीज रोपण (घास, पौघ, झाड़ी) (iv) कटिंग लगाना (v) क्षेत्र की देख – रेख (vi) मृदा संरक्षण कार्य – चैक डैम, गेबियन चेक डैम, गली प्लग, ब्रष वुड चैक डैम, खाद आदि। यह समस्त कार्य समुदाय की सहमति एवं भागीदारी से पूर्ण किये गये।

3.0 विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर प्रोग्राम के प्राविधान।

प्रस्तावित विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर प्रोग्राम के तहत संवेदनशील पेयजल स्रोतों पर आधारित पेयजल योजनाओं के प्रस्तावों में एकीकृत रूप से जल ग्रहण क्षेत्र कार्यों हेतु (1) जैविक कार्य जिसमें वृक्षा रोपण तथा घास क्षेत्र–प्रदर्षन हेतु (वृक्षारोपण का कार्य औसतन 5 हे0 भूमि पर किया जायेगा तथा एक है0 भूमि पर 1000 वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है। वृक्षारोपण क्षेत्र की देखभाल का कार्य समुदाय द्वारा किया जायेगा। (2) मृदा संरक्षण कार्य जिसमें चैक डैम–पत्थर, क्रेट ूपतम, ब्रष वुड तथा अन्य प्रकार के चैक डैम (3) वर्षा जल संग्रहण–भूजल सम्वर्द्धन एवं संचयन हेतु छोटे तालाबों का निर्माण, रिचार्ज पिट तथा चाल/खाल का पुनर्जीवीकरण एवं (4) जागृति एवं क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम जिसमें सामाजिक घेर बाड/एल0पी0जी0 कैम्प, पर्यावरणीय स्वच्छता पर कैम्पेन, पॉली हाउस (आय सृजन हेतु) का निर्माण के प्राविधान प्रस्तावित हैं।

(ब) उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) के अन्तर्गत जल संरक्षण एवं सम्वर्द्धन तथा वानिकी कार्यक्रम

'परियोजना क्षेत्र के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में सामाजिक संस्थागत तथा पर्यावरण पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुये प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन एवं उपयोग से ग्रामीणों की आय में वृद्वि करना' परियोजना का उद्देश्य है। परियोजना के ग्राम पंचायतों के द्वारा जलागम विकास परियोजना तैयार की जाती है और उसके अनुसार मुख्य रूप से जल संरक्षण एवं संग्रहण, वनीकरण एवं ऊर्जा संरक्षण, चारागाह विकास, आदि कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते है। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है। अनुमोदित योजना के कार्यक्रमों को लाभार्थी समूह अथवा राजस्व ग्राम समितियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय प्रबन्धन व सामाग्री क्रय आदि कार्य किये जाते हैं। परियोजना के कार्यो तथा परिसम्पतियों का प्रबंधन एवं रख–रखाव समुदाय द्वारा किया जाता है।

ग्राम्या परियोजना के अन्तर्गत जल स्रोतों का संरक्षण/जल संग्रहण कार्यक्रम :–

ग्राम पंचायतों द्वारा जलागम विकास योजना में जल स्रोतों का संरक्षण/ जल संग्रहण हेतु गतिविधियों को चिन्हित किया जाता है। इस घटक के अन्तर्गत जलागम विकास योजना का लगभग 20 प्रतिशत धनराशि के व्यय होने की सम्भावना है। इस घटक की मुख्य गतिविधियां निम्नवत् हैं :–

(i) **ताल/नौला/खाल जीर्णोद्धार** : पारम्परिक ताल, नौला, खाल के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार हेतु क्षेत्र विशेष का अध्ययन कर उपयुक्त कार्य किये जाते हैं। जिससे की इन पारम्परिक जल संसाधनों का उपयोग किया जा सके। इस कार्यमद में लाभार्थी अंश 10 प्रतिशत है।

(ii) **वर्षा जल संग्रहण टैंक** : वर्षा जल को संग्रहित कर उसे घरबाड़ी कार्य हेतु उपयोग करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है। इस कार्यक्रम में जल संग्रहण टैंक का निर्माण कर घर की छत से पतनालें के द्वारा टैंक में जल को संग्रहित किया जाता है। इस कार्यमद में लाभार्थी अंश 25 प्रतिशत है।

(iii) **ग्रामीण तालाब** : ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का उचित प्रबन्धन एवं उपयोग नहीं किया जाता है इसलिए ऐसे तालाब जो कि अभी तक अनउपयोगी हो उन्हें उचित ढंग से तैयार कर उनमें पानी संग्रहित करने की व्यव्स्था की जाती है। यह पानी मनुष्यों एवं पशुओं के पीने योग्य होने के साथ साथ बागवानी आदि के उपयोग में भी लाया जा सकता है। इस कार्यमद में लाभार्थी अंश 15 प्रतिशत है।

(iv) **गूल निर्माण कार्य** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई हेतु उपयोग की जा रही कच्ची गूलों को पक्का किया जाता है। जिससे पानी का अनावश्यक रिसाव ना हो तथा अधिकतम कृषि क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिल सके। इस कार्यमद में लाभार्थी अंश 15 प्रतिशत है।

(v) **सिंचाई टैंक निर्माण** : जिन स्थलों पर सिंचाई टैंक निर्मित कर कृषकों को लाभ प्राप्त हो सकता है ऐसे स्थलों पर सिंचाई टैंको का निर्माण किया जाता है। इस कार्यमद में लाभार्थी अंश 15 प्रतिशत है।

(vi) **पीने के पानी की आपूर्ति** : ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार पुरानी क्षतिग्रस्त पेयजल आपूर्ति योजनाओं का सुधार किया जाता है। इस कार्यमद में लाभार्थी अंश 10 प्रतिशत है।

(vii) **डीज़ल ईजन के साथ पम्पसेट** : उपयुक्त स्थल तथा ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसारडीज़ल ईजन के साथ पम्पसेट की स्थापना की जाती है। इस कार्यमद में लाभार्थी अंश 25 प्रतिशत है।

(viii) **डिग्गी / परकोलेशन वैलः** ग्रामीण अपनी आवश्यकता अनुसार डिग्गी / परकोलेशन वैल का निर्माण भी कर सकते हैं। इस कार्यमद में लाभार्थी अंश 10 प्रतिशत है।

उपरोक्त सभी गतिविधियों में उपभोक्ता समूह बना कर परियोजना का निर्माण एवं निर्मित परिसम्पत्तियों का रख–रखाव किये जाने की व्यवस्था है। सभी कार्यक्रमों में लाभार्थी अंशदान 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी ताल / नौला / खालों का जीर्णोद्धार परियोजना के अन्तर्गत परियोजना अवधि में सम्भव है, लेकिन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर के स्त्रोत पर कार्य विधिक कारणों से वर्तमान में सम्भव नहीं हैं।

ग्राम्या परियोजना के अन्तर्गत वनीकरण कार्यक्रम :–

मृदा एवं जल स्रोतो के संरक्षण के कार्यक्रमों के साथ–साथ वनीकरण कार्यक्रमों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित किया जाता है। स्थानीय लोगों की चारा, लकड़ी, ईधन की आवश्यकता की पूर्ति, भूमि कटाव को रोकने, भूमि में नमी को संरक्षित करने हेतु अकृष्य भूमि तथा ग्राम पंचायतों के मध्य सामुदायिक भूमि में वनीकरण एवं चारा विकास कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। समुदाय में आरक्षित वनों की सुरक्षा हेतु लगाव एवं संवेदनशीलता विकसित करने हेतु कुछ चयनित सुक्ष्म जलागमों के राजस्व ग्रामों में वन पंचायतों के माध्यम से वनीकरण कार्य कराये जाने की व्यवस्था है। ऐसे राजस्व ग्रामों के बंजर, सिविल एवं वन पंचायत भूमि में वनीकरण एवं रख–रखाव कार्य वन पंचायतों के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। वन पंचायतों को इस कार्य हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से धन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। परियोजना का क्षेत्र 700 मीटर से 2000 मीटर के ऊँचाई वाले मध्य हिमालयन क्षेत्र में स्थित है। ग्रामवासियों की आवश्यकता एवं उपयोगिता तथा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रजाति के वृक्षारोपण प्रस्तावित हैं, जो मध्य हिमालय क्षेत्र के अनुसार हैं तथा वन विभाग के द्वारा अनुमोदित हैं :–

क.सं.	स्थानीय नाम	सामान्य गुण
1.	चीड़	ईंधन, टिम्बर तथा चारकोल हेतु उपयोगी।
2.	बांझ	ईंधन एवं चारा तथा कृषि यन्त्रों हेतु उपयोगी।
3.	बानी / फलीयात	ईमारती लकड़ी, ईंधन तथा कृषि यन्त्रों हेतु उपयोगी।
4.	कचनार	चारा, ईमारती लकड़ी, ईंधन तथा कृषि यन्त्रों हेतु उपयोगी। इसकी फूल व कली भी भोजन में उपयोगी।
5.	कनौल / गुयीराल	चारा हेतु उपयोगी। इसकी फूल व कली सब्जी तथा अचार में उपयोगी।
6.	भीमल	चारा, कृषि यन्त्रों हेतु उपयोगी। इसका रेशा रस्सी बनाने हेतु उपयोगी।
7.	गेंढी	चारा हेतु उपयोगी। छाल औषध, तना कसोरे आदि बर्तन बनाने हेतु उपयोगी।
8.	सिरस	चारा हेतु उपयोगी। लकड़ी केसर, पहिये आदि बनाने तथा फर्नीचर हेतु उपयोगी।
9.	सुरई	ईमारती लकड़ी तथा मन्दिरों आदि में उपयोगी।
10.	आमला	औषध, अचार आदि हेतु उपयोगी।
11.	जामुन	ईमारती लकड़ी, औषध, कृषि यन्त्रों हेतु उपयोगी।
12.	बांस	फर्नीचर, टोकरी, पेपर आदि हेतु उपयोगी।
13.	सेमल	पैकिंग, खिलौना बनाने तथा औषध हेतु उपयोगी।
14.	टिमिला	चारा, लकड़ी, ईधन, कटोरी / प्लेट बनाने हेतु उपयोगी।
15.	शहतूत	कृषि यन्त्रों, ईमारती लकड़ी एवं चारा तथा रेशम के कीड़े पालने हेतु उपयोगी।
16.	खैर	कत्था बनाने, ईमारती लकड़ी हेतु उपयोगी।
17.	उतिस	चारा एवं ईधन हेतु उपयोगी।
18.	तुन	ईमारती लकड़ी, ईधन आदि।
19.	रोबेनिया	चारा एवं ईधन हेतु उपयोगी।
20.	अखरोट	फर्नीचर, ईमारती लकड़ी हेतु उपयोगी।
21.	बहडा	औषध, चारा तथा ईमारती लकड़ी हेतु उपयोगी।
22.	हरड	औषध, चारा तथा ईमारती लकड़ी हेतु उपयोगी।
23.	पदम	कृषि यन्त्रों के निर्माण हेतु उपयोगी।
24.	काफल	औषध, चारा तथा ईमारती लकड़ी हेतु उपयोगी।
25.	शीशम	चारा तथा ईमारती लकड़ी हेतु उपयोगी।

परियोजना प्रारम्भ से मार्च 2007 तक 21 वानिकी पौधषालाओं की स्थापना की गई हैं।

वानिकी कार्य हेतु रणनीति :–

परियोजना अवधि के अन्तर्गत अभी तक तैयार की गई 250 ग्राम पंचायत जलागम विकास योजनाओं में ग्राम पंचायतों के क्षेत्र के अन्तर्गत वनीकरण का कार्य लगभग 10,000 हेक्टर क्षेत्रफल में प्रस्तावित हैं। उक्त वनीकरण क्षेत्र में से लगभग 5,000 हे0 क्षेत्र को सी0डी0एम0 प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बॉयों–कार्बन फण्ड हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। इस विषय पर परियोजना तैयार किऐ जाने का कार्य प्रगति पर है। वानिकी मॉडलस में 5 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान का प्राविधान रखा गया हैं।

सीमायें :–

सामान्यतः दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के मध्य पड़ने वाले क्षेत्र जहाँ पर आरक्षित वन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के उपचार में कठिनाईयाँ आ रही हैं। परियोजना में ग्राम पंचायतों के मध्य क्षेत्रों के उपचार हेतु रुपये 40 करोड़ का प्राविधान हैं। ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत पड़ने वाले इन क्षेत्रों (आरक्षित वनों) में जब तक पानी के स्त्रोतों तथा कैचमैन्ट क्षेत्र का उपचार कार्य नहीं किया जायेंगा, तब तक तकनीकी रुप से इन क्षेत्रों का कैचमैन्ट उपचार किया जाना सम्भव नहीं हैं। अतः वन पंचायत नियमावली 2005 (संशोधित) के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों में वन पंचायत को सम्बन्धित आरक्षित वनों में संयुक्त वन प्रबन्ध के अन्तर्गत कार्य करने को अधिकृत किया जाता है, तो इस धनराशि का उपयोग वानिकी कार्य हेतु सम्भव है।

3. उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल सेक्टर कार्यक्रम जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु दिशा–निर्देश

(अ.) जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबन्धन संबंधी गतिविधियॉ उन पेयजल योजनाओं में की जायेंगी जो निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक शर्तों को पूर्ण करती हैं :–

- **(i)** जहॉ वर्तमान में स्रोत स्राव < 15 एल0पी0एम0 से कम हो
- **(ii)** जहॉ मृदा अपरदन के कारण जलापूर्ति योजना को खतरा हो
- **(iii)** जहॉ स्रोत स्राव में विगत दो वर्षों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई हो
- **(iv)** भूवैज्ञानिक एवं तकनीकी सम्भाव्यता
- **(v)** जहॉ ग्रामीण समुदाय जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबन्धन कार्यक्रम में सहभाग करने में इच्छुक हों

(ब.) जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जायेगा :–

1. जैविक कार्य :–
   - **(i)** वृक्षारोपण (नमूना 1000 प्रति हे0)
   - **(ii)** प्रदर्शन हेतु घास क्षेत्र (200 वर्ग मीटर)

2. मृदा संरक्षण कार्य :–
   - **(i)** सूखे पत्थर के चैक डैम (7.50 घन मीटर का एक चैक डैम प्रति 5 हे0 में)
   - **(ii)** क्रेट wire चैक डैम (8.50 घन मीटर का एक क्रेट wire क डैम प्रति 5 हे0 में)
   - **(iii)** ब्रश वुड चैक डैम (5 हे0 में 5 चैक डैम)

3. वर्षा जल संग्रहण – भू–जल सम्वर्द्धन एवं संचयन हेतु :–
   - **(i)** छोटे तालाबों का निर्माण (15.00 घन मीटर के दो तालाब प्रति हे0)
   - **(ii)** रिचार्ज पिट (0.125 घन मीटर के पॉच पिट प्रति हे0)
   - **(iii)** चाल/खाल का पुर्नजीविकरण (100 घन मीटर की खुदाई)
   - **(iv)** छत द्वारा वर्षाजल संचयन हेतु संरचनायें, विशेषकर विद्यालय भवनों तथा ग्राम पंचायत भवनों में भू–जल सम्वर्द्धन एवं उपयोग हेतु

4. सामाजिक कार्य :–

- सामाजिक घेर बाड़/ सामाजिक जागरूकता स्वच्छ पेयजल एवं पर्यावरण हेतु, एल0पी0जी0 कैम्प, पर्यावरणीय स्वच्छता अभियान (टी0एस0सी0)
- पॉली हाउस का निर्माण (7.5 X 4 X 2) : आय सृजन हेतु

(स.) **जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबन्धन कार्यक्रम हेतु शैड्यूल आफ रेट्स**

- उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबन्धन कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के लिये वन विभाग के संबंधित वन वृत्त (Circle) के शैड्यूल आफ रेट्स ही उपयोग में लाये जायेंगे।

4. मुख्य कार्यदायी संस्थायें

सम्पूर्ण प्रदेश में इस कार्यक्रम का समन्वय निम्न परियोजनाओं/ विभागों द्वारा सम्पन्न किया जाना प्रस्तावित है :–

1. जलागम प्रबन्ध निदेशालय :– यह निदेशालय आपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों के बंजर, सिविल एवं वन पंचायत भूमि में वनीकरण एवं रख–रखाव कार्य वन पंचायतों के माध्यम से करने का प्रयास करेगी।
2. उत्तराखण्ड जल संस्थान/ उत्तराखण्ड जल निगम/ स्वजल परियोजना :– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चूँकि पेयजल सेक्टर कार्यक्रम में स्रोत केन्द्रित उपचार पर अधिकतम 5 हे0 तक ही जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबन्धन कार्य किया जाना प्रस्तावित है, अतः उसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर यह विभाग/ परियोजना उसकी सूचना एवं प्रस्ताव वन विभाग को प्रेषित करेंगे ताकि अधिक बड़े क्षेत्र को वन विभाग द्वारा इस कार्य हेतु लिये जा सके।